भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 299

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सेला एवं गैर-सेला चावल का निर्यात

299. **श्री सी.एन. अन्नादुरई:**
श्री नवसकनी के:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान बासमती, सेला चावल और गैर-सेला चावल का निर्यात कर रही है और यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान निर्यात किए गए चावल की कुल मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से तमिलनाडु सहित प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की चावल निर्यात में योगदान की भूमिका क्या है;

(ग) भारतीय चावल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने चावल निर्यात के लिए नए बाजारों की खोज करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चावल निर्यातकों को कोई राजसहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो ऐसी योजनाओं और लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): जी हां, विगत तीन वर्षों में भारत से बासमती चावल, सेला चावल और गैर-सेला चावल का निर्यात हुआ है। सरकार भारत से कुल चावल निर्यात का रिकॉर्ड रखती है। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु सहित भारत से निर्यातित चावल की कुल मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार हैं –

उत्पाद	मिलियन अमरीकी डॉलर			मात्रा मीट्रिक टन में		
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
बासमती चावल	3540	4788	5837	3948161	4558972	5242048
गैर-सेला-चावल	3353	3362	1299	9809383	9940207	3545781
सेला-चावल	2771	2994	3271	7452852	7845886	7570753
कुल	**9665**	**11143**	**10407**	**21210396**	**22345065**	**16358582**

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग): सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय चावल अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करे, अनेक उपाय कर रही है । उत्पादन स्तर पर, कृषि रसायनों के विवेकपूर्ण उपयोग और आयातक देशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईसीएआर संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य कृषि विभागों के माध्यम से कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से हितधारकों को जागरूक करने और क्षमता निर्माण संबंधी कार्य किए गए ।

जहां आयातक देशों द्वारा परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है, निर्यातकों को सामान्य गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाती है। कतिपय आयातक देशों द्वारा निर्धारित विशिष्ट गुणवत्ता परीक्षण आवश्यकताओं के लिए, निर्यात किए जा रहे चावल के अपेक्षित परीक्षण को सुविधा जनक बनाने हेतु एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को मान्यता प्रदान की गई है।

(घ): भारत विश्व में चावल का अग्रणी निर्यातक है और वर्तमान में 169 देशों को चावल का निर्यात कर रहा है। नए बाजारों में अवसरों का पता लगाने के लिए उद्योग को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रमों और क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार प्रतिनिधिमंडल के दौरे, ब्रांडिंग अभियानों आदि जैसे अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में निर्यातकों की भागीदारी आयोजित करके और अधिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

(ङ): वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से चावल सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों और अन्य प्रमुख हितधारकों नामतयः कृषि-खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकार आदि को निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

I. निर्यात अवसंरचना विकास
II. गुणवत्ता विकास
III. बाजार विकास

एपीडा की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना का विवरण https://apeda.gov.in/apedawebsite/Announcements/FAS_Guidelines_05102021.pdf?v=1 पर उपलब्ध है।

*****